

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1394/2025

विजयराज पुत्र वरिंगाराम, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम वाडा भादवी डाक सेवड़ी, पुलिस थाना बागोड़ा, सांचोर जिला जालोर (वर्तमान में केंद्रीय जेल उदयपुर में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, मार्फत लोक अभियोजक (पीपी)

----उत्तरदाता

से संबंधित

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14982/2023

राजीव कुमार पुत्र प्रेमलाल उपाध्याय, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी मकान नंबर आर 3/एफ एफ 3, गायत्रीनगर, फर्स्ट सांगानेर, पुलिस थाना सांगानेर, जयपुर (राज.)। (वर्तमान में केंद्रीय जेल, उदयपुर में बंद)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, मार्फत लोक अभियोजक (पीपी)

----उत्तरदाता

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 82/2024

पुखराज पुत्र श्री रघुनाथ, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी हेमा गुडा, पुलिस थाना झाब, जिला जालोर। (वर्तमान में जिला जेल, उदयपुर में बंद)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य, मार्फत लोक अभियोजक (पीपी)
- 2 श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री शत्रुशल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसआईयूसीएडब्ल्यू, उदयपुर।

----उत्तरदातागण

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 15135/2024

राजीव पुत्र श्री भगवाना राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम सरनाऊ, पुलिस थाना सांचोर जिला सांचोर (केंद्रीय जेल, उदयपुर में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, मार्फत लोक अभियोजक (पीपी)

----उत्तरदाता

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 15136/2024

राम गोपाल पुत्र श्री जगदीश नारायण, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी कल्लावाटा तिबावाली, वाटिका रोड, सांगानेर सदर पुलिस थाना सांगानेर जिला जयपुर (दक्षिण) (केंद्रीय जेल, उदयपुर में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, मार्फत लोक अभियोजक (पीपी)

----उत्तरदाता

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 15138/2024

गामा राम खिलेरी पुत्र श्री पूनमाराम खिलेरी, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम मालवाड़ा, चीतलवाना पुलिस थाना जिला जालोर, और तत्कालीन पटवारी हरियाली तहसील सांचोर, जिला जालोर (केंद्रीय जेल, उदयपुर में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, मार्फत लोक अभियोजक (पीपी)

----उत्तरदाता

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 297/2025

अनीता कुमारी @ अनीता पत्नी डॉ. प्रभु सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 201, विद्याधर नगर, जयपुर (राज) (महिला जेल, जयपुर में न्यायिक हिरासत में)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, मार्फत लोक अभियोजक (पीपी)

----उत्तरदाता

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 299/2025

गोपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम और डाक सुरसाल, उखीमठ, पुलिस थाना, जिला रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड)। वर्तमान में निवासी 16 बाडिया गाँव, नई आरपीएससी के सामने, जयपुर रोड, सिविल लाइंस अजमेर जिला अजमेर राज। (वर्तमान में केंद्रीय जेल उदयपुर में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, मार्फत लोक अभियोजक (पीपी)

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिए

:

श्री रवि भंसाली वरिष्ठ अधिवक्ता सहयोग प्राप्त श्री विपुल धर्निया, श्री शुभम मोदी द्वारा
 श्री विनय जैन वरिष्ठ अधिवक्ता सहयोग प्राप्त श्री महेंद्र बिश्नोई, श्री रमेश कुमार द्वारा
 श्री विकास बालिया वरिष्ठ अधिवक्ता सहयोग प्राप्त श्री विजय राज बिश्नोई द्वारा
 श्री जगमाल सिंह चौधरी वरिष्ठ अधिवक्ता सहयोग प्राप्त श्री प्रदीप चौधरी द्वारा
 श्री कुणाल बिश्नोई
 श्री विशाल शर्मा

उत्तरदाताओं के लिए : श्री अशोक खिलेरी
श्री दीपक चौधरी अतिरिक्त महाधिवक्ता
सहयोग प्राप्त श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित
उप सरकारी अधिवक्ता द्वारा
श्री प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
एसओजी जयपुर

माननीय श्री न्यायमूर्ति फरजंद अली

रिपोर्ट करने योग्य

आदेश

आदेश आरक्षित किया गया ::: 18/02/2025 को

आदेश सुनाया गया ::: 24/02/2025 को

न्यायालय द्वारा:

1. वर्तमान में लंबित जमानत आवेदनों का यह समूह याचिकाकर्ताओं द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत दायर किया गया है, जो पुलिस थाना बेकरिया, जिला उदयपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 120-बी और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 की धारा 3, 4, 6, और 6(ए), साथ ही राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2022 की धारा 3, 6, 9, और 10 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 227/2022 में हिरासत में हैं।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट का सार इस प्रकार है –

24 दिसंबर, 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने शिक्षक ग्रेड II की भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित की। उदयपुर में पेपर लीक का एक मामला सामने आया। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रश्न पत्र बेच रहे थे। उपरोक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एक पुलिस टीम ने परीक्षार्थियों को ले जा रही एक बस को रोका और तलाशी लेने पर, पुलिस टीम ने 39 उम्मीदवारों और अन्य व्यक्तियों से चिह्नित उत्तरों के साथ प्रश्न पत्र की प्रतियां बरामद कीं। ये प्रतियां वास्तविक परीक्षा प्रश्न पत्र के समान थीं, जिसके लिए उम्मीदवारों सहित कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जांच में जब्त की गई प्रतियों और आधिकारिक प्रश्न पत्र के बीच महत्वपूर्ण मिलान का खुलासा हुआ क्योंकि 100 में से 80 प्रश्न मिल गए थे।

3. उपरोक्त के आधार पर, अपराध के संबंध में गिरफ्तारियाँ की गईं, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, और 120 बी, और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 की धारा 3, 4, 6, और 9/10, साथ ही राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 की धारा 3, 6, और 9/10 का उल्लंघन शामिल था। जांच के दौरान, लीक हुए कागजात को प्राप्त करने और वितरित करने में सुरेश कुमार बिश्नोई, भजन लाल, और रावता राम नामक व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई। जब्ती के समय, बस से एक प्रिंटर और खाली कागजात बरामद किए गए, क्योंकि इन वस्तुओं का कथित तौर पर प्रश्नगत पेपर/परीक्षा की प्रतियां तैयार करने के लिए उपयोग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, परीक्षा को बाद में स्थगित कर दिया गया था।

4. आगे बढ़ने से पहले, मामले का तथ्यात्मक सार जो रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यात्मक रिपोर्ट और केस डायरी से सामने आता है, उसे रेखांकित करना उचित और सही होगा। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की सुनवाई के दौरान सामने आया मामला, कई व्यक्तियों से जुड़े एक व्यापक और सावधानीपूर्वक आयोजित षड्यंत्र का खुलासा करता है। आरोपों की गंभीरता और प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की परस्पर जुड़ी प्रकृति को देखते हुए, आरोपित अपराध में उनकी विशिष्ट संलिप्तता को सीमांकित करना आवश्यक हो जाता है।

5. उपरोक्त के आलोक में, केस सामग्री में परिलक्षित प्रत्येक आरोपी को सौंपी गई भूमिका का एक संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है:

6. सीआरएलएमबी संख्या 1394/2025 (विजयराज)

मामले की सामग्री की समीक्षा से पता चलता है कि आरोपी विजय राज वर्मा पुत्र वारिंगाराम वर्मा (इसके बाद 'वर्मा' कहा गया है) राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित शिक्षक ग्रेड II परीक्षा-2022 के प्रश्न पत्र लीक की योजना बनाने में सक्रिय रूप से शामिल था। एक उम्मीदवार न होने के बावजूद, उसने लीक हुए पेपर के अवैध आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाया। जांच स्थापित करती है कि विजय राज ने सह-आरोपी रमेश राम मेघवाल (इसके बाद 'मेघवाल' कहा गया है) को लीक हुआ प्रश्न पत्र प्रदान करने का आश्वासन दिया, जिसके लिए ₹8-10 लाख की राशि की मांग की गई थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और मोबाइल विश्लेषण ने 22 और 23 दिसंबर 2022 को वर्मा और मेघवाल के बीच कई संप्रेषणों की पुष्टि की, जिसने

उनके षड्यंत्र को पुष्ट किया। 23.12.2022 को, वर्मा ने अपने गाँव से उदयपुर की यात्रा की, अपने सहयोगी अशोक विश्वाई के साथ समन्वय किया और मेघवाल के परिवहन की व्यवस्था मोटरसाइकिल और कार के माध्यम से एक ऐसे स्थान के लिए की जहाँ लीक हुए पेपर की प्रतियाँ वितरित की गईं। इसके बाद, मेघवाल को 24.12.2022 को पेपर लीक सिंडिकेट द्वारा संचालित एक बस के अंदर लीक हुए प्रश्न पत्र के कब्जे में गिरफ्तार किया गया था। विजय राज को 30.09.2023 को गिरफ्तार किया गया था, और प्रासंगिक आईएमईआई नंबरों और सिम कार्ड के साथ उसके मोबाइल फोन सहित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए थे। साक्ष्य वित्तीय लाभ के लिए प्रतियोगी परीक्षा पत्रों को लीक करने में लगे संगठित अपराध नेटवर्क में उसकी भूमिका को स्थापित करता है।

7. सीआरएलएमबी संख्या 14982/2023

आरोपी राजीव कुमार उपाध्याय को 26.02.2023 को गिरफ्तार किया गया था। उसने संगठित पेपर लीक षड्यंत्र को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19.12.2022 को, उसे गोपाल सरन द्वारा शिक्षक ग्रेड II परीक्षा के लीक हुए सामान्य ज्ञान के पेपर के बारे में सूचित किया गया था, जो 24.12.2022 को निर्धारित थी, उसने इसे भूपेंद्र सरन से प्राप्त किया। षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए, 21.12.2022 को, राजीव कुमार ने एक एकांत स्थान—ग्रीन फील्ड रिजॉर्ट एंड क्लब, जयपुर—की व्यवस्था की, जहाँ उम्मीदवारों को इकट्ठा किया गया और लीक हुए पेपर के लिए कोचिंग दी गई। रिजॉर्ट मालिक सहित कई गवाहों के बयानों ने उसकी संलिप्तता की पुष्टि की। वह भूपेंद्र सरन, गोपाल सरन (बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर), और ओमप्रकाश मोदरान (अपहरण और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में आरोपी) सहित प्रमुख षड्यंत्रकारियों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। हालाँकि, वह एक उम्मीदवार नहीं था, लेकिन वह संगठित पेपर लीक रैकेट का एक सक्रिय सदस्य था, जो परीक्षा पत्रों के गैरकानूनी प्रसार से वित्तीय रूप से लाभान्वित हो रहा था, इस प्रकार, उसके कार्य राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2022 की धारा 10(2) के तहत आते हैं, जो पांच से दस साल तक के कारावास और दस लाख से दस करोड़ रुपये तक के जुर्माने सहित कठोर दंड निर्धारित करता है।

8. सीआरएलएमबी संख्या 82/2024

पुखराज विश्वोई ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित शिक्षक ग्रेड II भर्ती परीक्षा (2022) के प्रश्न पत्र को लीक करने के व्यापक षड्यंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए, वह सुरेश कुमार साहू और सुरेश कुमार ढाका सहित मुख्य षड्यंत्रकारियों के साथ सीधे संपर्क में था, और उम्मीदवारों को लीक हुए पेपर के प्रसार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण था। जांच से पता चलता है कि सह-आरोपी सुरेश कुमार साहू द्वारा पुखराज विश्वोई को उसके मोबाइल नंबर (9610894673) पर व्हाट्सएप के माध्यम से हल किया गया प्रश्न पत्र भेजा गया था, जिसके बाद उसने उदयपुर के होटल हिमांशी में इसके मुद्रण और वितरण की व्यवस्था की, जहाँ उम्मीदवार ठहरे हुए थे। इसके अतिरिक्त, उसने गोपाल विश्वोई और मंगलाराम सहित सिंडिकेट के अन्य सदस्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले हल किया गया पेपर मिले। वह सुरेश कुमार ढाका के भी संपर्क में था, जिसे उसने व्हाट्सएप के माध्यम से होटल का स्थान साझा किया और बाद में "पुलिस आ गई" संदेश भेजकर पुलिस की आवाजाही के बारे में चेतावनी दी। 23.12.2022 को उदयपुर के होटल हिमांशी में पुलिस छापे के दौरान, उसके कब्जे से हल किए गए प्रश्न पत्र की एक प्रति बरामद की गई थी, जिसमें उत्तर चिह्नित थे। उसके मोबाइल फोन रिकॉर्ड 20.12.2022 से 24.12.2022 तक कॉल लॉग के जानबूझकर विलोपन का संकेत देते हैं, जो संगठित अपराध में उसकी संलिप्तता को और पुष्ट करता है। साक्ष्य लीक हुए प्रश्न पत्रों के अनधिकृत अधिग्रहण, वितरण और सुविधा में उसकी गहरी संलिप्तता को स्थापित करता है, जिससे वह परीक्षा घोटाले में एक धुरी बन जाता है।

9. सीआरएलएमबी संख्या 15135/2024

आरोपी राजीव विश्वोई, जो पूर्व सरकारी शिक्षक है, बड़े पैमाने पर परीक्षा पेपर लीक कांड में एक प्रमुख षड्यंत्रकारी के रूप में उभरा है, जो संगठित नकल नेटवर्क के साथ गहरे संबंध प्रदर्शित करता है। जांच से पता चलता है कि उसने मौद्रिक लाभ के बदले में लीक हुए प्रश्न पत्रों को सुरक्षित करने और वितरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह सह-आरोपी नागराज मेघवाल और महेन्द्र कुमार प्रजापत के सीधे संपर्क में था, जो दोनों उसके कॉलेज के सहपाठी थे। विश्वोई ने शिक्षक ग्रेड II परीक्षा, 2022 (सामान्य ज्ञान) के प्रश्न पत्र की अवैध खरीद को ₹8-10 लाख में सुविधाजनक बनाया। उसके व्हाट्सएप संचार रिकॉर्ड ने परीक्षा से एक दिन पहले, 23.12.2022 को उसके मोबाइल नंबर 7877026353 के माध्यम से दोनों आरोपियों के साथ व्यापक बातचीत

की पुष्टि की। इन बातचीतों में कई कॉल और संदेश शामिल थे, जो पेपर-लीक को आयोजित करने में उसकी सक्रिय संलिप्तता को पुष्ट करते हैं।

10. इसके अलावा, विश्वोई ने व्हाट्सएप के माध्यम से नागराज और महेंद्र कुमार के प्रवेश पत्र एकत्र किए और एक बड़ी नकल सिंडिकेट के साथ समन्वय किया ताकि उन्हें एक बस में ले जाने की व्यवस्था की जा सके जहाँ लीक हुआ प्रश्न पत्र पहले से प्रदान और हल किया गया था। सह-आरोपी से जब्त किए गए मोबाइल फोन के फॉरेंसिक विश्लेषण से उसकी मिलीभगत की पुष्टि होती है, जिसमें उसका नाम 05.10.2023 को "राजीव 29" के रूप में सहेजा गया था। उसकी गिरफ्तारी के समय, कानून प्रवर्तन ने दो मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड बरामद किए, जिनमें से एक का उपयोग लीक से संबंधित अवैध संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए इंटरनेट एक्सेस के लिए एक डोंगल में किया गया था। जांच में उसके उपकरणों से महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य को हटाने के प्रयासों का भी खुलासा हुआ।

11. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें आगे खुलासा हुआ कि विश्वोई 2024 राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से संबंधित पेपर लीक में शामिल था, जहाँ उसने न केवल प्रश्न पत्र लीक करने में सहायता की बल्कि धोखाधड़ी के माध्यम से अपना चयन भी सुरक्षित किया, योग्यता सूची में 70 वां स्थान प्राप्त किया। उसकी कदाचार की हिस्ट्री वर्ष 2013 तक जाती है जब कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी और उसे सभी आरपीएससी परीक्षाओं से वंचित कर दिया गया था। वर्तमान जांच का लक्ष्य अन्य सह-षड्यंत्रकारियों, इसमें शामिल सटीक वित्तीय लेनदेन और ऐसे लीक को सक्षम करने वाले बड़े नेटवर्क की पहचान करना है।

12. सीआरएलएमबी संख्या 15136/2024

आरोपी रामगोपाल मीणा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) शिक्षक ग्रेड II परीक्षा 2022 के पेपर-लीक से जुड़े सावधानीपूर्वक आयोजित षड्यंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सह-आरोपी अनिल कुमार मीणा @ शेर सिंह मीणा के करीबी सहयोगी और चालक के रूप में, रामगोपाल उसके साथ कई अवसरों पर अजमेर गया, जहाँ उन्होंने रेलवे कॉलोनी में प्रवीण कुमार सुतालिया के सरकारी आवास का दौरा किया। यह स्थान कमलेश मीणा, बलराम मीणा, और गोपाल सिंह सहित प्रमुख

षड्यंत्रकारियों के लिए निर्धारित परीक्षा तिथि से पहले सामान्य ज्ञान के पेपर की अवैध खरीद की रणनीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता था। रामगोपाल केवल एक दर्शक नहीं था बल्कि षड्यंत्र में सक्रिय रूप से शामिल था, जिसे किए जा रहे अवैध गतिविधियों का पूरा ज्ञान था। 19.12.2022 को, वह जयपुर में तेजा फाउंडेशन के पास एक सड़क किनारे चाय की दुकान पर था, वहाँ अनिल कुमार मीणा ने लीक हुए प्रश्न पत्र का एक सेट भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका को सौंपा, जिससे अपराध में उसकी मिलीभगत को और पुख्ता किया गया। इसके अतिरिक्त, रामगोपाल ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय भूमिका निभाई, अवैध पेपर लीक से संबंधित धन लेनदेन का रिकॉर्ड रखा और अनिल कुमार मीणा की संपत्ति के विवरण और संपत्ति की निगरानी की। उसकी भूमिका परिवहन और वित्त से परे विस्तारित थी, क्योंकि वह अनिल कुमार मीणा के फरार होने की अवधि के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संगृहीत करने और संभालने के लिए भी जिम्मेदार था। उसके कब्जे से बरामद सामग्री में अपराध में प्रयुक्त एक इको स्पोर्ट्स वाहन, उम्मीदवार के विवरण वाली नोटबुक, वित्तीय बहीखाता, मूल मार्कशीट, बैंक रिकॉर्ड, खाली चेक, और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जो सभी उसकी संलिप्तता का सीधा साक्ष्य हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड आगे एक वर्ष की अवधि में अनिल कुमार मीणा, प्रवीण कुमार सुतालिया, और बलराम मीणा सहित प्रमुख आरोपी व्यक्तियों के साथ उसके लंबे समय से और लगातार संपर्क को स्थापित करते हैं, जो षड्यंत्र में गहरी जड़ें दर्शाते हैं। इसके अलावा, रामगोपाल की खुद लीक हुए प्रश्न पत्र तक पहुंच थी और उसने उम्मीदवारों के बीच इसके वितरण को सुविधाजनक बनाया।

13. सीआरएलएमबी संख्या 15138/2024

गामा राम खिलेरी, घटना के समय एक सरकारी कर्मचारी के रूप में पटवारी के रूप में कार्यरत था, ने शिक्षक ग्रेड II परीक्षा 2022 के पेपर-लीक को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण के साथ उसका घनिष्ठ संबंध षड्यंत्र में उसकी सक्रिय संलिप्तता का खुलासा करता है। मामले की सामग्री से साक्ष्य स्थापित करते हैं कि गामा राम से व्हाट्सएप के माध्यम से भूपेंद्र सारण ने संपर्क किया था, उसे पेपर लीक के बारे में सूचित किया और पहुँच के लिए भुगतान करने को तैयार उम्मीदवारों की मांग की। इसके बाद, गामा राम ने परीक्षार्थी सुनील विश्वाई को उदयपुर की यात्रा करने की व्यवस्था की, जहाँ परीक्षा से एक रात पहले लीक हुए सामान्य ज्ञान के पेपर को हल किया जाना था। जांच आगे पुष्टि करती है कि उसने एक

बिचौलिए के रूप में कार्य किया, भूपेंद्र सारण से ₹8 लाख में पेपर की दलाली की और सुनील विश्वाई को ₹10 लाख में इसे फिर से बेचा। उसके मोबाइल रिकॉर्ड और कॉल डेटा से संबंधित फॉरेंसिक विश्लेषण रिपोर्ट धोखाधड़ी वाले ऑपरेशन के समन्वय में उसकी संलिप्तता को और पुष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त, गामा राम का वर्ष 2015, 2021, और 2024 में पंजीकृत मामलों सहित कई सार्वजनिक परीक्षा धोखाधड़ी में आपराधिक संलिप्तता का इतिहास है, जहाँ उसने पेपर लीक और अवैध उम्मीदवार चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

14. सीआरएलएमबी संख्या 297/2025

अनीता कुमारी मीणा, जो एसबीआई की कोहिनूर शाखा, जयपुर में उप प्रबंधक के रूप में कार्यरत थी। उसे शिक्षक ग्रेड II परीक्षा, 2022 से संबंधित पेपर-लीक के संबंध में 02.04.2023 को गिरफ्तार किया गया था। वह वर्तमान मामले में एक सह-आरोपी है, जिसने शिक्षक ग्रेड II परीक्षा, 2022 के पेपर लीक से जुड़े व्यापक षड्यंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अनिल कुमार मीणा (जो एक मुख्य आरोपी है) की करीबी सहयोगी थी और लीक हुए परीक्षा पत्र के अनधिकृत वितरण को सुविधाजनक बनाया। जांच से पता चला कि अनीता मीणा लीक हुए पेपर के बारे में जानती थी और जयपुर में अपने आवास पर एक प्रिंटर की व्यवस्था करके इसके पुनरुत्पादन में सक्रिय रूप से सहायता की, जहाँ प्रश्न पत्र को परिसंचरण के लिए स्वरूपित और मुद्रित किया गया था। उसने प्रमुख षड्यंत्रकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा, जैसा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड से स्पष्ट है, और लीक हुई परीक्षा की आय से वित्तीय लाभ प्राप्त किया। कई वाहन और अवैध धन से जुड़े बैंक लेनदेन सहित पर्याप्त चल और अचल संपत्तियाँ उसके नाम पर ट्रेस की गईं। इसके अतिरिक्त, षड्यंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसके आवास और एक सहयोगी के कब्जे से बरामद किए गए थे। संगठित पेपर लीक रैकेट में उसकी संलिप्तता के वित्तीय और आपराधिक पहलुओं के संबंध में चल रही कार्यवाही के साथ, उसके खिलाफ मामला न्यायिक जांच के अधीन है।

15. सीआरएलएमबी संख्या 299/2025

16. आरोपी गोपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), अजमेर में चालक के रूप में कार्यरत था। उसने लीक हुए द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्रों के व्यापक षड्यंत्र को सुविधाजनक बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। गोपाल सिंह ने 2018 से सह-आरोपी अनिल कुमार मीणा, जिसे शेर सिंह मीणा के नाम से भी जाना जाता है, के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा, अजमेर

और जयपुर में अक्सर उससे मुलाकात की। उसने अनिल मीणा को आरपीएससी कर्मचारियों से परिचय कराने के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग किया, जिसमें उप सचिव चैनाराम पंवार भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के साथ बैठकों को सुविधाजनक बनाया। गोपाल सिंह परिवहन में सहायक था, उसने एक आधिकारिक आरपीएससी वाहन (आरजे-01 सीई 2492) का उपयोग अनिल मीणा को भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका सहित अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ बैठकों तक पहुंचाने के लिए किया, जहाँ परीक्षा पत्रों की अवैध खरीद पर चर्चा की गई थी। 26 नवंबर, 2022 को, बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास से लीक हुए पेपर को प्राप्त करने के बाद, गोपाल सिंह ने अनिल मीणा को अपनी निजी कार (आरजे-14 सीएच 1603) में अजमेर से जयपुर पहुँचाया, जो उसकी सीधी संलिप्तता की पुष्टि करता है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) गोपाल सिंह और प्रमुख षड्यंत्रकारियों के बीच व्यापक संपर्क दिखाते हैं, जिसमें मार्च और मई 2022 के बीच अनिल मीणा के साथ 64 कॉल, और फरार आरोपी कमलेश मीणा, बलराम मीणा, और सुरेश ढाका के साथ कई बातचीत शामिल हैं। लीक हुए पेपर का उसका ज्ञान, एक लोक सेवक होने के बावजूद इसकी रिपोर्ट करने में विफलता, और षड्यंत्र में सक्रिय सहायता उसे सहभागी बनाती है।

17. अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि उनके खिलाफ आरोपित अपराधों का कोई मामला नहीं बनता है और उनका कारावास न्यायोचित नहीं है। वर्तमान मामले में कोई कारक कार्य नहीं कर रहे हैं जो अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं को जमानत देने के विरुद्ध हो सकते हैं और उन्हें अनुमानों और अटकलों के आधार पर आरोपी बनाया गया है।

18. राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि इन सभी याचिकाकर्ताओं की सक्रिय भूमिका को देखते हुए, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

19. मैंने बार में दिए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया है और मामले की बारीकियों का अवलोकन किया है।

20. विचाराधीन आरोपी के संबंध में जमानत के न्यायशास्त्र सार को रेखांकित करना उपयुक्त होगा। जमानत देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, जिसका प्रयोग कानून द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर किया जाता है। जमानत दी जा सकती है जब आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, न्यायिक हिरासत में होता है, या स्वेच्छा से उसके समक्ष उपस्थित होता है। न्यायालय में निहित विवेक का प्रयोग

न्यायिक रूप से किया जाना है, स्थापित कानूनी सिद्धांतों और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक सार को ध्यान में रखते हुए।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक घोषणाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से जमानत को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को स्पष्ट किया है, जो यद्यपि संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन मार्गदर्शक मिसाल के रूप में कार्य करते हैं। जमानत आवेदन पर फैसला करते समय, न्यायालय को विभिन्न कारकों पर विचार करना चाहिए, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

अपराध की प्रकृति और गंभीरता: आरोपों की गंभीरता, कार्यप्रणाली, और सार्वजनिक हित पर प्रभाव प्राथमिक विचार हैं।

दंड की मात्रा: दोषसिद्धि पर लगाए जा सकने वाले संभावित दण्ड फरार होने के जोखिम का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में कार्य करता है।

न्याय से बचने की संभावना: कानून की प्रक्रिया से आरोपी के भागने या जमानत पर रिहा होने पर मुकदमे से बचने की संभावना का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

पिछला आचरण और आपराधिक इतिहास: समान अपराधों या अन्य आपराधिक गतिविधियों में आरोपी की पिछली संलिप्तता, यदि कोई हो, एक भौतिक कारक है।

समाज पर प्रभाव: सार्वजनिक व्यवस्था, सामाजिक धारणा, और समग्र कानूनी ढांचे पर आरोपी की रिहाई के संभावित परिणाम का आकलन किया जाना चाहिए।

साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना: मुकदमे की लंबितता के दौरान आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई भी आशंका एक महत्वपूर्ण विचार है।

22. जमानत न्यायशास्त्र मौलिक रूप से आरोपी के आचरण के इर्द-गिर्द घूमता है। जमानत देने या अस्वीकार करने का विवेक एक पवित्र न्यायिक कार्य है, जिसका प्रयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद किया जाना है। यहां तक कि अगर प्रथम दृष्टया उचित आधार मौजूद हैं कि आरोपी ने अपराध किया है, तो भी जमानत दी जा सकती है, बशर्ते न्यायालय संतुष्ट हो कि उसका आचरण निरंतर हिरासत की आवश्यकता नहीं रखता है। हालाँकि, जहाँ न्यायालय के समक्ष विश्वसनीय सामग्री रखी जाती है जो आपराधिक गतिविधियों में आरोपी की अभ्यस्त संलिप्तता को

प्रदर्शित करती है, न्यायालय को जमानत देने में सावधानी और अनिच्छा दिखानी चाहिए।

23. ऐसे अपराधों के परिणाम तत्काल आपराधिक कृत्य से परे हैं, जो सामाजिक समता और न्याय के मूल पर हमला करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएँ योग्यता-आधारित उन्नति का प्रवेश द्वार हैं, जो विविध सामाजिक-आर्थिक तबके के व्यक्तियों को उनकी लगन और बौद्धिक कुशाग्रता के आधार पर अवसरों तक पहुँचने में सक्षम बनाती हैं। इसलिए, ऐसी परीक्षाओं की अखंडता पवित्र है। प्रश्न पत्रों को लीक करने का जघन्य कृत्य न केवल निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के मौलिक सिद्धांतों को कमजोर करता है, बल्कि वास्तविक उम्मीदवारों को अपूरणीय क्षति भी पहुँचाता है जो सार्वजनिक सेवा में अपना सही स्थान सुरक्षित करने के लिए वर्षों के अटूट प्रयास और दृढ़ता को समर्पित करते हैं। ऐसे कदाचारों से उत्पन्न निराशा संस्थागत तंत्रों में जनता के विश्वास को नष्ट करती है, जिससे उम्मीदवारों के बीच सनक और निराशा का माहौल पैदा होता है जो केवल अपनी योग्यता पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा, ऐसे अपराधों के हानिकारक सामाजिक परिणाम व्यक्तिगत परीक्षार्थियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शासन के व्यापक ताने-बाने तक फैले हुए हैं, क्योंकि अयोग्य उम्मीदवारों का सार्वजनिक संस्थानों में घुसपैठ प्रशासनिक दक्षता, नैतिक शासन और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है। न्यायपालिका, संवैधानिक मूल्यों की प्रहरी होने के नाते, सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रणालीगत धोखाधड़ी से जुड़े मामलों का निर्णय करते समय इन व्यापक सामाजिक विचारों के प्रति अत्यधिक जागरूक रहनी चाहिए। नतीजतन, ऐसे उल्लंघनों की गंभीरता एक कठोर न्यायिक दृष्टिकोण को आवश्यक बनाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यापक सार्वजनिक हित और योग्यता-आधारित प्रक्रियाओं की पवित्रता को उन्हें कमजोर करने की चाह रखने वाले बेईमान तत्वों के खिलाफ संरक्षित रखा जाए।

24. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता एक व्यापक न्यायिक जांच को आवश्यक बनाती है, विशेष रूप से चल रही जांच और अपराध की व्यापकता के आलोक में। वर्तमान मामला कदाचार का एक अलग उदाहरण नहीं है, बल्कि सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता को कमजोर करने के उद्देश्य से एक सुनियोजित रैकेट की अभिव्यक्ति है। कई व्यक्तियों की संलिप्तता, जिनमें से कुछ अभी भी फरार हैं, मामले की जटिलता और लगातार जांच प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

25. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि कुछ आरोपी व्यक्ति वर्तमान में कारावास में हैं, जबकि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही समवर्ती रूप से चल रही है। यह न्यायालय, पीएमएलए कार्यवाही के विशेष विवरण में जाने से परहेज करते हुए, मामले के व्यापक निहितार्थों से अनजान नहीं हो सकता है। अपराध की प्रकृति, जो योग्यता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के मूल पर हमला करती है, एक कठोर दृष्टिकोण को आवश्यक बनाती है। जांच एजेंसियां, अपने अथक प्रयासों के बावजूद, अभी तक कई प्रमुख आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई हैं, जिनमें से कुछ ने पहले ही अवैध साधनों से पद हासिल कर लिए हैं और वर्तमान में सरकारी सेवा में लगे हुए हैं। चिंताजनक रूप से, भर्ती किए गए कुछ व्यक्ति फरार हो गए हैं, जिससे जांच प्रक्रिया और जटिल हो गई है।

26. षड्यंत्र की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए राज्य स्तर पर एक समर्पित विशेष कार्य समूह (एसओजी) का गठन किया गया है। अथक परिश्रम के बावजूद, जांच टीम कई संदिग्धों का पता लगाने में असमर्थ रही है, जिससे ऑपरेशन की गहरी जड़ें और गुप्त प्रकृति का संकेत मिलता है। यदि याचिकाकर्ताओं को इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जमानत पर रिहा किया जाता है, तो एक गंभीर आशंका है कि यह चल रही जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालेगा। इस धोखाधड़ी योजना का खुलासा एक वृद्धिशील प्रक्रिया रही है, जिसमें नियमित अंतराल पर मिलीभगत की नई परतें सामने आ रही हैं। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति ने नए आपत्तिजनक साक्ष्य की खोज में योगदान दिया है, जिससे आगे की गिरफ्तारियां और खुलासे हुए हैं। जांच की इस विकसित प्रकृति को देखते हुए, किसी भी आरोपी की समय से पहले रिहाई न केवल भौतिक साक्ष्य के संग्रह को खतरे में डाल सकती है, बल्कि फरार चल रहे मुख्य अपराधियों को भी बढ़ावा दे सकती है।

27. इसके अलावा, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस अपराध के निष्पादन में अपनाई गई परिष्कृत कार्यप्रणाली पर्याप्त प्रभाव और संसाधनों वाले व्यक्तियों की संलिप्तता का सुझाव देती है। यदि जमानत दी जाती है, तो याचिकाकर्ता गवाहों पर दबाव डालने या दस्तावेजी साक्ष्य में हेरफेर करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे कानून की उचित प्रक्रिया दूषित हो सकती है। न्यायिक अंतरात्मा यह अनिवार्य करती है कि उन मामलों में जहाँ अपराध इस परिमाण का है कि यह सामाजिक ताने-बाने और सार्वजनिक विश्वास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, आरोपी की स्वतंत्रता को न्याय के व्यापक हित के खिलाफ तौला जाना चाहिए।

28. उपरोक्त विचारों के आलोक में, यह न्यायालय इस स्पष्ट राय का है कि इस चरण में याचिकाकर्ताओं की रिहाई न्याय के हितों के विपरीत होगी। जांच एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें पर्याप्त साक्ष्य का अभी तक खुलासा होना बाकी है और मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्तारी से बच रहे हैं। जांच प्रक्रिया में बाधा डालने की याचिकाकर्ताओं की रिहाई की भारी संभावना, ऐसे अपराध के सामाजिक परिणामों के साथ मिलकर, एक सतर्क और चौकस दृष्टिकोण को आवश्यक बनाती है।

29. यह अवलोकन करना प्रासंगिक है कि परीक्षण की कार्यवाही में देरी को अकेले अभियोजन, न्यायालय, या जांच एजेंसी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायालय के आदेश पत्रों का सावधानीपूर्वक अवलोकन अद्वितीय रूप से दर्शाता है कि स्थगन को अक्सर आरोपी की ओर से मांगा गया है, विशेष रूप से आरोप के बिंदु पर बहस करने के लिए। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जबकि न्यायालय मामले को आगे बढ़ाने के लिए लगन से इच्छुक हैं, और जांच एजेंसियां न्याय की अपनी खोज में सतर्क रहती हैं, न्यायिक प्रक्रिया को अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बाधा आई है। परीक्षण के लम्बे होने के लिए प्रणालीगत जड़ता जिम्मेदार है, यह दावा, इसलिए, अभिलेख द्वारा प्रमाणित नहीं है।

30. जबकि यह संवैधानिक न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि तेजी से परीक्षण का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित एक मौलिक अधिकार है, यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे न्याय की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। यह न केवल एक आरोपी व्यक्ति तक विस्तारित है, बल्कि हर नागरिक तक, जिसमें पीड़ित के साथ-साथ पूरा समाज भी शामिल है। न्यायपालिका, संवैधानिक स्वतंत्रता की प्रहरी होने के नाते, इस अधिकार को बनाए रखने के अपने गंभीर कर्तव्य के प्रति अत्यधिक जागरूक है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में, यह न्यायालय आवश्यक उपाय करेगा और उपयुक्त निर्देश जारी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षण शीघ्रता से आयोजित किया जाता है, कार्यवाही की अखंडता को कमजोर करने वाले अनुचित और विलंबित हथकंडों के बिना।

31. उपरोक्त चर्चा के आलोक में और वर्तमान जमानत आवेदनों से संबंधित परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अपने

विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाता है। इसके अलावा, अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, सार्वजनिक हित पर संभावित परिणाम, और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की आशंका सामूहिक रूप से इस स्तर पर जमानत देने के खिलाफ हैं, इसलिए, जमानत आवेदनों का यह वर्तमान समूह खारिज किए जाने योग्य है।

32. तदनुसार, तत्काल जमानत आवेदन, जिसमें कोई बल नहीं है, एतद्वारा परीक्षण न्यायालय को निम्नलिखित निर्देशों के साथ खारिज किए जाते हैं:

अ. परीक्षण न्यायालय निर्धारित समय-सीमा के भीतर परीक्षण को समाप्त करने के लिए सभी संभावित प्रयास करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्यायिक नियंत्रण से परे कारणों को छोड़कर, कोई अनुचित स्थगन नहीं दिया जाता है।

ब. जांच एजेंसी शीघ्रता से आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने और बिना किसी अनावश्यक देरी के जांच के लिए गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सतर्क रहेगी।

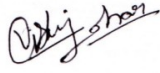
स. आरोपी व्यक्तियों को खुद का बचाव करने के सभी उचित अवसर दिए जाएंगे; हालाँकि, उन्हें प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की आड़ में कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लम्बा खींचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

द. अभियोजन पक्ष निष्पक्ष परीक्षण और त्वरित न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए कार्यवाही के समय पर पूरा होने को सुविधाजनक बनाने में परीक्षण न्यायालय को पूर्ण सहयोग देगा।

य. उपरोक्त निर्देश न्याय के हित में और इस मौलिक सिद्धांत को बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं कि जबकि स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है, इसका प्रयोग अपराधिक कार्यवाही के निष्पक्ष और शीघ्र निपटान के लिए हानिकारक तरीके से नहीं किया जा सकता है।

(फरजंद अली), जे

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़